>

Title: Need to provide immediate appointment on compassionate ground to the family members of personnel of paramilitary forces who die in harness.

श्रीमती सीमा उपाध्याय (फतेहपुर सीकरी): देश के अर्द्ध-सैनिक बलों द्वारा विभिन्न संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा बड़ी मुस्तैदी के साथ की जाती है, पर उनकी सेवाकाल के दौरान यदि मृत्यु हो जाती है तो हमारे होनहार सुरक्षा बलों के परिवार की महिलाओं को अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। इस दौरान उनका पूरा परिवार आर्थिक तंगी के कारण बिखर जाता है। ऐसे परिवारों का और भी बुरा हाल हो जाता है जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के होते हैं क्योंकि उनका पूरा का पूरा परिवार ऐसे जवानों पर निर्भर रहता है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में अनुकंपा के आधार पर वर्ष 2007 में रोजगार के लिए 340 रिक्त पड़े पदों में से मात्र 4 महिलाओं को नौकरी दी गई, वर्ष 2008 में 3 महिलाओं को, वर्ष 2009 में 5 महिलाओं को रोजगार दिया गया। रोजगार न देने का विभागों के पास कई कारण हैं, जैसे शारीरिक उपयुक्तता, योग्यताएं व अन्य मानदंडों का पूरा होना पर क्या इस बात पर कभी गौर किया गया कि जिन होनहार जवानों ने अपनी जान जोखिम में डाली और सेवा के दौरान अपनी जान दे दी, क्या उनके विभागों का यह उत्तरदायित्व नहीं कि वह अर्द्ध-सैनिक बलों के परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए बिना विलंब किए अनुकंपा के आधार पर मानदंडों में थोड़ा लचीलापन लाते हुए उनके परिवार के सदस्य को विभाग में सेवा का अवसर दे।

मेरी मांग है कि अर्द्ध-सैनिक बलों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आए आवेदनों पर उच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही हो और महिलाओं को मानदंडों में शिथिलता प्रदान करते हुए अविलंब उन्हें नौकरी प्रदान की जाए।